(127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1161–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–5–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 261/2001–02/अपील.

श्रीमती सुनीता पत्नी नरेन्द्र कुमार जैन
निवासी आरोन जिला गुना .....आवेदिका

विरूद्ध

2– राकेश कुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद भार्गव
2– रघुवीर प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद भार्गव
निवासीगण आरोन जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/1/12 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा पटवारी के समक्ष ग्राम आरोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 1120 में से रकबा 0.953 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 से कय किये जाने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । पटवारी द्वारा विवादित नामांतरण होने से प्रकरण तहसीलदार, आरोन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–5–2000 को आदेश पारित कर विकय पत्र के आधार पर आवेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी,

आरोन जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–1–2002 को आदेश पारित कर तहसीदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–5–2003 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, और पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं है । यह भी कहा गया कि जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र अस्तित्व में है, तब तक आवेदिका के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि है, जिसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता है, जबकि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया गया है, जो कि संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की होकर शासकीय भूमि है, और संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत बिना कलेक्टर की अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका का नामांतरण स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय द्वारा भी आवेदिका के पक्ष में किये गये प्रश्नाधीन भूमि के अंतरण को शून्य

घोषित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर